न्यायालय : सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, सीमलवाडा डूंगरपुर राज.

तारीख हुक्म	कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट सरकार बनाम कल्पेश प्रकरण संख्या 516/2019 रे0फो0 सीआईएस नंबर 520/2019	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	दिनांक :–22.01.2025 सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। अभियुक्त कल्पेश अनुपस्थित। **अभियुक्त कल्पेश पिता धुला कोटेड उम्र 22 साल निवासी ढेमला थाना मेघरज जिला अरवल्ली गुजरात** का जारीशुदा गिरप्तारी वारंट पुलिस **थाना धंबोला** की और से कानि0 दिपेश बेल्ट नंबर 147 ने अदम तामील मय तस्दीक सरपंच/मौतबिरान् व मामलातदार की रिपोर्ट/तहरीर के साथ पेश किया। बयान **दिपेश** सीडब्ल्यु–01 के लेखबद्व किये गये। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण वर्ष 2019 का होकर पांच वर्ष से भी अधिक पुराना है एंव अभियुक्त आदेशिका दिनांक 26.05.2022 से लगातार अनुपस्थित है। प्रकरण में तामील कुनिंदा के लेखबद्व बयानों से ऐसा प्रतित होता है कि अभियुक्त **कल्पेश** अपनी उपस्थिति से बचने के लिये सकुनत से रूहपोश हो रहा है एंव प्रकरण में वांछित होने पर भी अपने आप को छिपाता फिर रहा है एवं न्यायालय में उपस्थित नही हो रहा है। अतः प्रकरण के संपुर्ण तथ्यों व परिस्थितियों तथा अभियुक्त की प्रकरण में लंबी अनुपस्थिति को देखते हुये यह प्रतीत होता है कि **मुल्जिम कल्पेश** की निकट भविष्य में अब मिलने की सम्भावना प्रतीत नही होती है। अतः अभियक्त **कल्पेश** को इस प्रकरण में **मफरूर घोषित किया जाता है।** अभियुक्त **कल्पेश** का स्थाई गिरप्तारी वारंट जारी होवे तथा अभियुक्त के जारीशुदा स्थाई गिरप्तारी वारन्ट के **पुलिस थाना धंबोला** में दर्ज होने के आमद नं. अविलंब मंगवाये जावे। अभियुक्त के विरूद्व धारा 446 की कार्यवाही नही खोली गयी हो तो अब खोली जावें व 82–83 की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। **पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर अभियुक्त कल्पेश के स्थायी गिरप्तारी वांरट जारी होने से मफरूर होने का नोट लगाया जावे एवं पत्रावली का कोई भी भाग न्यायालय की अनुमति के बिना नष्ट नही किये जाने का लाल स्याही से नोट लगाया जावे।** पत्रावली **मफरूरी में फैसलशुमार** होकर बाद तकमीलान दाखिल दफतर होवे। न्यायिक मजिस्ट्रेट सीमलवाड़ा, जिला–डूँगरपुर	